

मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 1997 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 12 अगस्त, 1997 (श्रावण 21, 1919)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

- (1) श्री रमेशचन्द्र शंकरराव खांडेकर, भूतपूर्व संसद सदस्य
- (2) श्री नर्मदा प्रसाद राय, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.

2. प्रश्नोत्तर

(1) पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

(2) श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, सदस्य का उपमुख्य मंत्री (राजस्व) से पूछा गया अल्प सूचना प्रश्न क्रमांक -3.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम लिमिटेड का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1994-95 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री प्रताप सिंह बघेल, परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-9-97-आठ, दिनांक 5 जुलाई, 1997 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, ऊर्जा मंत्री, मेसर्स जिन्दल पावर लिमिटेड द्वारा रायगढ़ में स्थापित की जा रही 2 X 250 मेगावाट रायगढ़ ताप विद्युत परियोजना के लिये मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल एवं कम्पनी के बीच दिनांक 5 नवम्बर, 1996 को निष्पादित विद्युत क्रय अनुबंध (पी.पी.ए.) की प्रति पटल पर रखेंगे.

(4) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, ग्रामोद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लेदर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री घनश्याम पाटीदार, राम लखन शर्मा, गिरिराज मण्डलोई, सदस्य, प्रदेश की विभिन्न शुगर मिलों द्वारा कृषकों को गन्ने के मूल्य का भुगतान न किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, सदस्य, जिला पंचायत भोपाल के अध्यक्ष द्वारा पद का दुरुपयोग किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सभापति, प्राक्कलन समिति का दशम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री अम्बिका प्रसाद शुक्ला, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का एक सौ चौदहवां प्रतिवेदन जो कि माह दिसम्बर, 1996 से जून, 1997 के मध्य गांधीसागर जलाशय में मत्स्याखेट के दौरान रायल्टी की चोरी एवं अन्य अनियमितताओं की जांच से संबंधित है, प्रस्तुत करेंगे.

6. प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री मदन गोपाल सिंह, सभापति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"दुग्ध महासंघ के माध्यम से अनुसूचित जातियों के हितग्राहियों को पशु आहार अनुदान न दिये जाने के मामले की जांच हेतु प्रश्न एवं संदर्भ समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये।"

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) डॉ. आर. के. गोयल, सदस्य, ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नदी पर पुलिया का पुनर्निर्माण कराये जाने,

(2) डॉ. सियाराम साहू, सदस्य, राजनांदगांव जिले के ग्राम गंडई में कन्या हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले जाने,

(3) श्री रामकिशन चौहान, सदस्य, रायसेन जिले के ग्राम मूण्डला से वाहोद तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने,

(4) श्री रामनरेश त्रिपाठी, सदस्य, राजधानी भोपाल के कटसी स्थित पुराने आई-टाईप आवासों की मरम्मत कराये जाने,

(5) श्री जगदीश देवड़ा, सदस्य, भोपाल के नार्थ टी.टी.नगर स्थित न्यू दशहरा मैदान से अस्थायी दुकानों को हटाये जाने,

(6) श्री शिवा कोटवाणी, सदस्य, भोपाल के कोटरा स्थित शासकीय आवासीय कालोनी से झुगियां हटाये जाने,

(7) श्री प्रभात कुमार पाण्डेय, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम दशरामन के हाईस्कूल को हायर सेकेन्डरी तक किये जाने,

(8) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल के उप नगर बैरागढ़ के संत हिरदाराम नगर से कलारी हटाये जाने,

(9) श्री जुगुलकिशोर बागरी, सदस्य, सतना जिले के कुम्हारी-वीरदत्त मार्ग की बीहर नदी पर पुल बनाये जाने,

(10) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, भोपाल में बढ़ी हुई पेयजल दर को कम किये जाने,

(11) श्री रंजीतसिंह गुणवान, सदस्य, सीहोर जिले के -

(क) जावर उप-मंडी को मंडी का दर्जा दिलाये जाने, तथा

(ख) ग्राम खामखेड़ा जतरा के हाईस्कूल को हायर सेकेन्डरी किये जाने,

(12) डॉ. चेतनसिंह वर्मा, सदस्य, दुर्ग जिले के -

(क) कारेसरा-निनवा मार्ग को गिट्टीकृत किये जाने,

(ख) ग्राम रांका में पशु औषधालय खोले जाने, तथा

(ग) शिवलाल राठी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेमेतरा में कृषि संकाय प्रारंभ कराये जाने,

(13) श्री प्रेमनारायण शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम बरखेड़ा जागीर में -

(क) पशु औषधालय खोले जाने, तथा

(ख) हाईस्कूल खोले जाने,

(14) श्री छतराम देवांगन, सदस्य, बिलासपुर जिले के ग्राम अर्जुनी में -

(क) पशु औषधालय खोले जाने, तथा

(ख) आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने,

(15) श्री लल्लू सिंह, सदस्य, शहडोल जिले के -

(क) ग्राम पटना के हाईस्कूल को हायर सेकेन्डरी किये जाने,

(ख) ग्राम बोड़री में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(ग) ग्राम घुरवार के हाईस्कूल को हायर सेकेन्डरी किये जाने, तथा

(घ) ग्राम पंचायत भुईबांध, बलपुरवा तथा कोनी को नगर पालिका शहडोल में मिलाये जाने,

